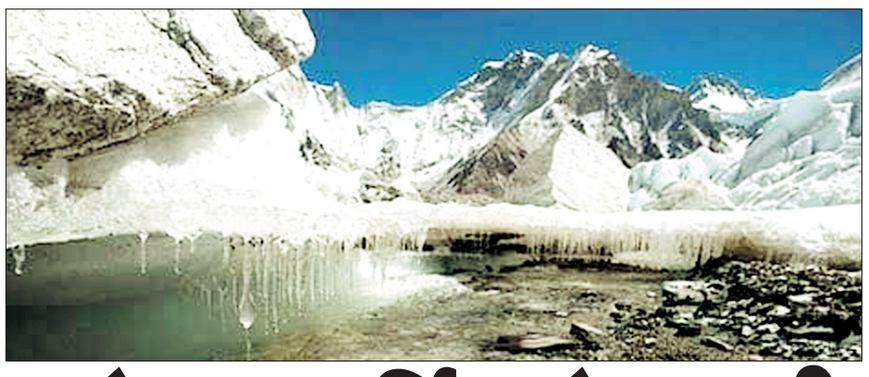

ग्लोबल वार्मिंग से तबाही

नेपाल ने भारत-चीन-अमेरिका पर साधा निशाना, मांगा मुआवजा

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 2 सितंबर. विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल ने जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुआवजे की मांग तेज कर दी है. नेपाल का कहना है कि उसका वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान बहुत कम है, लेकिन हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है.

नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि देश अब जलवायु आपदाओं के बाद मिलने वाली सहायता को केवल मानवीय राहत के तौर पर नहीं देखना चाहता. नेपाल अपनी कूटनीतिक नीति को सहायता की मांग से आगे बढ़ाकर न्याय और मुआवजे की दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है. यह किसी देश की ओर से दी जाने वाली चैरिटी का मामला नहीं है. उनका कहना है कि जलवायु संकट के लिए जिम्मेदारी तय करने और इससे प्रभावित देशों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने पर चर्चा होनी चाहिए. नेपाल ने इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को औपचारिक 'क्लाइमेट कंपेंसेशन क्लेम लेटर' भेजा है. साथ ही संयुक्त राष्ट्र से 5 अरब डॉलर की मदद की मांग की गई है. खनाल ने चीन, अमेरिका और भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि ये दुनिया के प्रमुख औद्योगिक उत्सर्जक देशों में शामिल हैं. नेपाल का तर्क है कि ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन करने वाले देशों की जिम्मेदारी जलवायु परिवर्तन से प्रभावित कमजोर देशों के प्रति अधिक होनी चाहिए. विदेश मंत्री ने हालिया आपदा की गंभीरता बताते हुए इसे सामान्य बाढ़ मानने से भी इनकार किया.

बालेन शाह ने संसद में भारत को कहा धन्यवाद

प्रधानमंत्री बालेन शाह ने बुधवार को संसद को संबोधित करते हुए राहत एवं बचाव अभियान में सहयोग के लिए भारत और चीन का विशेष रूप से आभार जताया. उन्होंने कहा कि दोनों पड़ोसी देशों ने जरूरत के समय सहायता पहुंचाई, जिससे बचाव अभियान को गति मिली और प्रभावित क्षेत्रों तक जरूरी संसाधन पहुंचाने में मदद मिली.

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहुंचे सोनू सूद

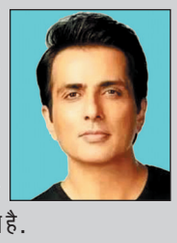

नेपाल में बाढ़ से मची तबाही के बीच अभिनेता सोनू सूद राहत अभियान में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे हैं. अपनी चैरिटी फाउंडेशन की टीम के साथ उन्होंने प्रभावित इलाकों में जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने की पहल की है. उनके साथ कंबल, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेजी गई है. सोनू सूद ने कहा कि मौजूदा संकट से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत के साथ लंबे समय तक सहयोग की आवश्यकता है.

200 साल बाद दहीफले परिवार में गूंजी बेटी की किलकारी

बीड. महाराष्ट्र के बीड जिले में दहीफले परिवार के लिए गार्गी का जन्म खास वजह से यादगार बन गया. परिवार के अनुसार, करीब 200 वर्षों बाद उनके घर में बेटी का जन्म हुआ है. चार पीढ़ियों से जिस पल का इंतजार था, वह पूरा होने पर परिजनों ने नवजात के स्वागत में खास आयोजन किया. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद गार्गी को उसकी मां के साथ घर लाया गया. इस दौरान उसे रथ में बैठाया गया और ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया. नाच-गाने के बीच परिवार के सदस्य खुशी में शामिल हुए. गार्गी के दादा लिंबाजी दहीफले अपनी पोती के जन्म को परिवार के लिए सौभाग्य का अवसर मानते हैं.

पासपोर्ट के लिए मां-बाप की नागरिकता जरूरी

वीजा पर सख्ती के बाद अमेरिका में बच्चों की नागरिकता पर ट्रंप का नया शिकंजा

वाशिंगटन, 02 सितम्बर। अमेरिका का विदेश विभाग बच्चों के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय माता-पिता से उनकी नागरिकता या आव्रजन स्थिति का प्रमाण मांग सकता है. यह नया मसौदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जन्मसिद्ध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशों के बीच प्रस्तावित किया गया है.

नए मसौदे में बताया गया है कि ट्रंप के 6 अगस्त के कार्यकारी आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है. यह आदेश 'जन्म पर्यटन' पर निशाना साधता है. इसमें ऐसे विदेशी नागरिक शामिल हैं, जो अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के लिए यात्रा करते हैं, ताकि उनके बच्चे को अमेरिकी नागरिकता मिल सके. प्रस्तावित नियमों के तहत माता-पिता या कानूनी अभिभावकों को बच्चे के पासपोर्ट आवेदन के साथ अपनी नागरिकता या आव्रजन स्थिति साबित करने वाले दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं. यह विभाग अभिभावकों से संबंधित जानकारी और उनकी नागरिकता या आव्रजन स्थिति के प्रमाण की मांग करेगा, ताकि यह तय किया जा सके कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाला बच्चा कार्यकारी आदेश के दायरे में आता है या नहीं. प्रस्तावित नियमों के तहत माता-पिता से अमेरिकी नागरिकता साबित करने के लिए वैध अमेरिकी पासपोर्ट या जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

> फिलहाल अमेरिका में जन्मे बच्चे के पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय माता-पिता को बच्चे के साथ अपने संबंध और अपनी फोटो पहचान साबित करनी होती है. आवेदन पत्र में यह पूछा जाता है कि क्या माता-पिता में से कोई अमेरिकी नागरिक है, लेकिन सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया में माता-पिता की नागरिकता का प्रमाण अलग से जमा करना जरूरी नहीं होता. प्रस्ताव ऐसे समय आया है, जब ट्रंप अमेरिकी जमीन पर जन्म लेने वाले बच्चों को स्वत: नागरिकता मिलने की परिस्थितियों को सीमित करने की कोशिश तेज कर रहे हैं. ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था ने 'जन्म पर्यटन' और नागरिकता व्यवस्था के कथित दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है.

किसानों-शिक्षकों के केस वापस लेगी टीवीके सरकार

- **प्रदर्शनकारियों के केस वापस होंगे**
- **अब नए किसानों के मामलों पर घिरी सरकार**

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई, 02 सितम्बर. तमिलनाडु की टीवीके सरकार ने पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की घोषणा की.

इस फैसले के तुरंत बाद विधानसभा में राजनीतिक टकराव शुरू हो गया. विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए मांग की कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों में भी इसी तरह की राहत दी जाए.

थलपति का वृद्धा को तोहफा

सीएम विजय अक्सर प्रदेश की जनता से मिलते रहते हैं. फिल्मों से दूरी बना लेने के बावजूद विजय आज भी आम जनता के बीच सुपरस्टार हैं. इसकी एक झलक, तब देखने को मिली जब विजय ने एक महिला को अपना स्टाइलिश सनग्लास तोहफे में दे दिया. खुद मुख्यमंत्री से यह तोहफा पाकर बुजुर्ग महिला भी खूब खुश हुई. महिला ने कहाकि मुख्यमंत्री से मिलकर काफी खुशी हुई.

अपमान का कारण नहीं बनेगा मातृत्व

मैटरनिटी लीव को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली, 02 सितम्बर. दिल्ली हाई कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को लेकर अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) से लौटने वाली महिला कर्मचारी को उसी पद पर वापस काम पर रखने का अधिकार है, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले काम कर रही थी.

कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर मातृत्व को अपमान का कारण नहीं बनने दिया जा सकता. जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर किसी महिला की मैटरनिटी से पहले वाली पोस्ट अब उपलब्ध नहीं है तो उसे सैलरी, ग्रेड, स्टेटस, जिम्मेदारियों, अधिकार और

करियर की संभावनाओं के मामले में उसी के बराबर की दूसरी पोस्ट दी जानी चाहिए. काम पर लौटने से पहले एम्प्लॉयर को उसे पोस्ट के उपलब्ध न होने के कारणों के बारे में बताना चाहिए और प्रस्तावित वैकल्पिक पोस्ट की जानकारी देनी चाहिए. इसमें उसका ग्रेड, सैलरी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर और काम शामिल हों. कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव से लौटने वाली महिला को आम तौर पर उस पोस्ट पर वापस आने का अधिकार होता है जिस पर वह छुट्टी पर जाने से ठीक पहले काम कर रही थी.

कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह छह महीने के भीतर 'सोशल सिक्योरिटी कोड' के तहत नियम बनाए. इन नियमों में मैटरनिटी के बाद नौकरी पर वापसी, ब्रेस्टफीडिंग के लिए मदद, क्रेच (बच्चों की देखभाल की सुविधा) की जानकारी देने और शिकायतों के समाधान के लिए समय-सीमा तय करने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाए. नियम बनाते समय केंद्र सरकार उसके स्टैंडिंग काउंसिल आशीष दीक्षित के सुझावों पर भी विचार करेगी.

एक नजर में

आईएसआई का 'मरकज सुभानअल्लाह' प्लान लीक

नई दिल्ली, 02 सितम्बर. आतंक के आकाओं की बेचैनी एक बार फिर जम्मू-कश्मीर की शांति में खलल डालने की साजिश रच रही है. भारतीय सुरक्षा बलों के पराक्रम से पिछले साल मई में 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान ध्वस्त हुए बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय 'मरकज सुभानअल्लाह' में गतिविधियां तो फिर से शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार आतंकियों की रणनीति और सुरक्षा के तौर-तरीके बदले हुए हैं. मुख्यालय में इस समय आतंकियों की संख्या बहुत कम रखने और शीर्ष नेतृत्व को वहां जाने से सख्त परहेज करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी संभावित भारतीय हमले से सुरक्षित रखा जा सके. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ जम्मू-कश्मीर में जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन की अगुआई में बड़े पैमाने पर हमला करने की साजिश रच रही है. उसने इन सभी संगठनों के आतंकियों को एक साथ रखा है और वह चाहती है कि ऑपरेशन अलग-अलग करने के बजाय मिलकर किया जाए.

ताहिर की अपील पर पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 02 सितम्बर. दिल्ली उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 के दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी (आप) पार्षद ताहिर हुसैन की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है. ताहिर हुसैन ने अंकित शर्मा मर्डर केस में अपनी सजा और दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले को चुनौती दी है. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और विकास महाजन ने अपील को स्वीकार कर लिया और इसे अन्य संबंधित अपीलों के साथ 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन और उनके साथ चार अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. उन्हें 13 जुलाई को दोषी ठहराया गया था. कोर्ट ने पांचों दोषियों ताहिर हुसैन, नजीर, आसिम, जावेद और अनास को उम्र कैद की सजा सुनाई थी.

जीडीपी पर सवाल उठाने वाले लोग बेरोजगार : पीयूष

नई दिल्ली, 2 सितंबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाने वालों को लेकर टिप्पणी की. दिल्ली में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि देश में आलोचना करने वाले ही बेरोजगार बचे हैं और वे तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आलोचकों के पास अब टीवी पैनल पर जाकर तर्क गढ़ने के अलावा कोई काम नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि नौकरियां कहां हैं, जबकि उनके मुताबिक वास्तविकता इसके विपरीत है. केंद्रीय मंत्री ने आर्थिक प्रदर्शन का बचाव करते हुए कहा कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता. दरअसल, केंद्र सरकार ने सोमवार को अप्रैल-जून तिमाही के जीडीपी आंकड़े जारी किए थे. इस अवधि में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.8त्न रही. यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक के 7 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है.

16 साल में छह गुना महंगा हुआ पोत

2600 करोड़ जहाज खरीदने में खर्च

400 करोड़ रुपये थी कीमत ध्रुवीय पोत की

वाशिंगटन, 02 सितम्बर (एजेंसी). पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) की खरीद के लिए वित्त मंत्रालय ने 2689 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं. अब इसकी खरीद के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

यह रिसर्च जहाज अंटार्कटिक महाद्वीप में शोध के लिए जाएगा. पहले इसकी कीमत 400 करोड़ रुपये थी लेकिन अब इसकी खरीद में देरी के चलते लागत बढ़कर 2600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. इस पर मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि प्रशासनिक देरी की वजह से ऐसा नहीं हुआ बल्कि अनेक अपरिहार्य, अनजाने और वैध बाहरी कारणों के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई. वर्ष 2010 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पीआरवी के लिए 490 करोड़ मंजूर किए थे. इसके बाद मंत्रालय ने खरीद प्रक्रिया शुरू की. वर्ष 2013 में प्रारंभिक निविदा प्रक्रिया के दौरान न्यूनतम बोलीदाता की लागत स्वीकृत बजट की तुलना में अधिक थी. इसलिए लागत समिति ने 1051 करोड़ की संशोधित लागत की सिफारिश की, जिसे 2014 में सरकार ने अप्रूव किया. इस बारे में आशय पत्र जारी किए जाने के बाद पोत निर्माता ने टेंडर की शर्तों में कुछ संशोधन की मांग की जो सरकार को स्वीकार्य नहीं थे. भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू) को वर्तमान बाजार परिस्थितियों के आधार पर पोत की लागत का आकलन करने का जिम्मा सौंपा गया.

सेना की बोट डूबी, 2 लापता

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क

चंडीगढ़, 02 सितम्बर. हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथिनीकुंड बैराज में सेना की ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया.

स्पेशल फोर्स के जवान चिनूक हेलीकॉप्टर से यमुना में उतरने की ट्रेनिंग कर रहे थे. इसके बाद जवान मोटरबोट पर सवार हुए, लेकिन नाव अचानक बंद हो गई और तेज बहाव में बहने लगी. हादसे में दो कमांडो अभी भी लापता हैं, जबकि तीन जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग 30 अगस्त से हथिनीकुंड बैराज इलाके में चल रही थी. ट्रेनिंग के दौरान जवान हेलीकॉप्टर से यमुना में खड़ी मोटरबोट पर उतर रहे थे. जवानों के नाव पर पहुंचने के बाद मोटरबोट

यमुना में चल रहा सर्च ऑपरेशन 3 बचाए, लापता की हो रही खोज

अचानक स्टार्ट नहीं हो सकी. इसी दौरान तेज बहाव के कारण नाव बहने लगी और जवान पानी में गिर गए.

हादसे के बाद तीन जवानों ने तेज बहाव के बीच तैरकर सुरक्षित निकलने की कोशिश की. जवान करीब 600 मीटर तक तैरकर नहर के गेट तक पहुंचने में कामयाब रहे.

बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा पर सुको सख्त

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को याद दिलाया कि वह केवल कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पदाधिकारी नहीं. इसलिए वह बीसीआई के केवल रोजमर्रा के कामकाज का संचालन कर सकते हैं. अदालत ने कहा कि कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला लेने से पहले बीसीआई को भारत के सॉलिसिटर जनरल को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वे स्थायी पदेन बीसीआई सदस्य हैं. जिनमें बीसीआई के नियमों में निर्धारित कार्यकाल से अधिक समय तक मनन कुमार मिश्रा के अध्यक्ष पद पर बने रहने को चुनौती दी गई है.

पटाखा कांड में रासुका, 3 पर 25 हजार इनाम

लखनऊ, 02 सितम्बर. यूपी के कौशाम्बी में हुए पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं. उनके आदेश पर डीएम ने आठ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत के गुनहगारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई कराने का दावा किया है. पुलिस अफसरों ने इसकी रूपरेखा तैयार करना भी शुरू कर दिया है. पटाखा फैक्टरी कांड में आठ बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हुई थी. अवैध रूप से संचालित फैक्टरी में हुई इस घटना ने राज्य मुख्यालय लखनऊ तक खलबली मचा दी है.

पुलिस मुख्यालय, गृह (पुलिस) विभाग, म.प्र. शासन के अंतर्गत सूबेदार/ उपनिरीक्षक संवर्ग की भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं

आवेदन पत्र भरने की तिथि 09.09.2026 से 23.09.2026 तक | ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी | आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि 09.09.2026 से 28.09.2026 तक

संभावित प्रथम चरण प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक	परीक्षा की पाली	अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय	उत्तर अंकित का समय
28 अक्टूबर 2026 बुधवार से प्रारंभ	प्रथम	प्रातः 08:00 से प्रातः 09:00 बजे तक	प्रातः 10:00 से 12:00 बजे तक (02 घंटे)
	द्वितीय	दोपहर 01:00 से दोपहर 02:00 बजे तक	दोपहर 03:00 से 05:00 बजे तक (02 घंटे)

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश

1. परीक्षा के नियम, विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं एवं परीक्षा संचालन नियम से संबंधित विस्तृत नियम पुस्तिका मण्डल की वेबसाइट **www.esb.mp.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी, जिसमें उल्लेखित समस्त नियमों/ जानकारी का अध्ययन करके ही आवेदन पत्र भरा जावे।
2. वेबसाइट **www.esb.mponline.gov.in** के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
3. **संभावित परीक्षा शहर - भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खण्डवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, बड़वानी एवं अनूपपुर।**
4. **परीक्षा शुल्क ***

सीधी भर्ती पदों हेतु	**अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए**	**रु. 500/- प्रति प्रश्न पत्र**
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए	रु. 250/- प्रति प्रश्न पत्र
पुलिस विभाग के नियमानुसार द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थी **(Qualified Candidate)** से मण्डल द्वारा पृथक से प्रक्रिया शुल्क **(Processing Fee)** लिया जाएगा।		
पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क	अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए	रु. 200/-
	केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ई.डब्ल्यू.एस. अभ्यर्थियों के लिए	रु. 100/-
ऑनलाइन आवेदन - कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एम.पी. ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60/- देय होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लागिन कर फार्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20/- देय होगा।		

विशेष निर्देश

1. अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है।
2. मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट में से कोई एक को चयनित कर सकता है। यू.आई.डी.ए.आई. (UIDAI) के द्वारा सत्यापित (Verify) होने पर ही ई-आधार मान्य होगा। मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र के अभाव में परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थी को नियम पुस्तिका में विनिश्चित मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड/ई-आधार कार्ड की छायाप्रति/आधार नंबर/आधार VID की जानकारी लाना अनिवार्य है।
4. परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। अतः जिन अभ्यर्थियों का आधार नंबर लॉक है वह परीक्षा दिनांक को परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के पूर्व आधार अनलॉक करवाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके पश्चात विलम्ब से आने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
6. परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यथा मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल्स, डिजीटल घड़ी, नकल पर्चा एवं sun glasses (धूप का चश्मा) आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
7. ऑनलाइन आवेदन-पत्र क्रमांक के द्वारा ही ऑनलाइन परीक्षा हेतु अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अतः आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से संभाल कर रखें, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी।
8. परीक्षा केंद्र पर आवेदक को परीक्षा हाल में प्रवेश हेतु मण्डल वेबसाइट से डाउनलोड किये गये प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
9. किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा समाप्ति तक परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
10. आवेदन-पत्र भरते समय उम्मीदवारों के किसी भी प्रमाण पत्र का परीक्षण मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर नियुक्ति प्रकिया के दौरान सम्बंधित विभाग द्वारा किया जाता है। अतः कम्प्यूटर आधारित (Online) परीक्षा में उम्मीदवारों की पात्रता (Eligibility) पूर्णतः प्रावधिक (Provisional) होगी।

विशेष नोट :- मंडल अपनी सुविधानुसार परीक्षा तिथि/परीक्षा पाली/शहरों/केंद्रों एवं अन्य बिन्दुओं में परिवर्तन कर सकता है।

विज्ञापन क्र. 18/2026

संचालक
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल
Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB)
'चयन भवन' मेन रोड नं. 1, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल - 462011

म.प्र. माध्यम/127843/2026

हस्तियों के ट्वीट

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि जर्मनी ने अगस्त की शुरुआत में लीपजिग में हुई गंभीर घटनाओं के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है .ये हाइब्रिड हमले यूरोप में बढ़ रहे हैं. इनका जवाब दिए बिना नहीं रहा जा सकता .फ्रांस पूरी तरह से जर्मनी के साथ है और रूस के खिलाफ नए यूरोपियन बैन को अपनाने का सपोर्ट करता है .इस बढ़ते हालात को देखते हुए, हमें एकजुट होना चाहिए, पक्का इरादा करना चाहिए और यूक्रेन के लिए अपना सपोर्ट मजबूत करना चाहिए.

महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि स्वागतम पूर्णिमा...एक ब्रांड का मैनेजर होने के साथ बहुत जिम्मेदारी आती है, लेकिन साथ ही एक खास कैनवस भी होता है .क्योंकि हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ नए ज़माने का मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ध्यान देने की अवधि सेकंडों में मापी जाती है .इसलिए ब्रांड मैनेजमेंट अब सिर्फ़ मैसेज को कंट्रोल करने के बारे में नहीं है .यह एक असली बातचीत बनाने के बारे में है.

मेरठ में नकली रिपैकिंग रैकेट का भंडाफोड़

मेरठ, 02 सितम्बर. गोदाम पर छापा मारकर एक करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जखीरा बरामद कर पुलिस ने चार आरोपित भाइयों को गिरफ्तार किया गया है. गोदाम में एक्सपायर्ड दवाइयों और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को नए रैपर लगाकर बाजार में बेचा जा रहा था. पकड़े गए आरोपित दवा कंपनियों के डिपो से एक्सपायर्ड दवाएं खरीदकर उन्हें रीपैकिंग कर हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली के बाजार में बेच रहे थे. पुलिस ने ड्रग्स विभाग के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया. शाहनवाज का गोदाम सलीमुद्दीन ने किराये पर ले रखा है. सलीमुद्दीन के चार बेटे असलम, सद्दाम, अकरम और अशरफ एक्सपायर्ड दवाइयां और ब्यूटी प्रोडक्ट्स कंपनियों के डिपो से लाकर गोदाम में रखते थे.

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)
तिलहन संघ भवन, 01, अरेरा हिल्स, भोपाल
URL: https://mpphscl.mp.gov.in, Phone : 0755-2578915
दिनांक : 02.09.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित निविदायें मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड के वेबसाइट एवं पोर्टल पर दिनांक 02.09.2026 से 30 दिवस में जारी की जावेंगी:-

1. **Online Tender RFP No. T-953/MPPHSCL/Request for Proposal (RFP) for "Transaction Advisor" for the Operationalization of Nine Brownfield Medical Colleges cum Hospitals and 18 CHCs in**
2. **Madhya Pradesh on PPP mode /Services/2026, Date 01.09.2026 Uploaded on portal & Website.**
3. **Tender (s) for Various Equipment**
4. **Tender (s) for Various Drugs**
5. **Tender (s) for Various Surgical & Consumables**
6. **Tender (s) for Various Ayush Consumables/Drugs.**

सभी Prospective bidders कार्यालय की वेबसाइट **"https://mpphscl.mp.gov.in** एवं पोर्टल **www.mptenders.gov.in, https://gem.gov.in"** पर विजिट कर निविदाओं में भाग लेवें।

म.प्र. माध्यम/127853/2026 **मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी-II)**